

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण**

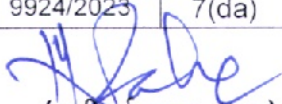
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023 को श्री अरुण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एफ्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम उपस्थित थे :-

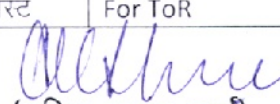
1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री मुजीबुर्रहमान खान, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

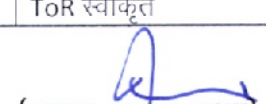
बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र. 9615/2022 को छोड़कर शेष सभी में सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	9391/2022	1(a)	पत्थर खदान	For Relist	Relisted एवं पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
2.	7305/2020	1(a)	ग्रेनाइट खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
3.	9363/2022	5(f)	मैटेलिक स्टेयरटेस एवं इंटरमिडियेट	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
4.	9032/2022	1(a)	पत्थर खदान	For Relist	Relisted एवं पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
5.	9758/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
6.	9819/2022	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
7.	463/2009	1(a)	ग्रेनाइट खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण में संशोधन	संशोधन स्वीकृत
8.	9061/2022	1(c)	सिचाई परियोजना	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
9.	9241/2022	3(b)	सीमेन्ट ग्राइडिंग यूनिट	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	Differed
10.	9919/2023	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
11.	9902/2023	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
12.	9907/2023	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
13.	9906/2023	1(a)	चूनापत्थर एवं डोलोमाइट खदान	For ToR	स्पष्टीकरण एवं Delisted
14.	9911/2023	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
15.	9912/2023	7(da)	बायोमेडिकल वेस्ट	For ToR	ToR स्वीकृत
16.	9834/2023	8(b)	मॉडल लॉजिस्टिक पार्क	For ToR	ToR स्वीकृत
17.	9924/2023	7(da)	बायोमेडिकल वेस्ट	For ToR	ToR स्वीकृत


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण**

18.	9920/2023	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
19.	9913/2023	3(a)	स्टील वायर्स	For ToR	ToR स्वीकृत
20.	9921/2023	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
21.	9615/2023	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
22.	9047/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
23.	9644/2022	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत

1. प्रकरण क्र. 9391/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स गणेश स्टोन क्रेशर, प्रोपराईटर, श्री दीपक शर्मा, निवासी वार्ड नं. 15, समता नगर, पोस्ट पेन्द्रा रोड, जिला बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 8000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.011 हेक्टेयर, खसरा 745, ग्राम दोनिया, तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनुपपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 762वीं बैठक दिनांक 27.12.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 608वीं बैठक दिनांक 06.12.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

".....प्रकरण आज बैठक क्रमांक 608वीं दिनांक 08/12/22 एवं 605वीं दिनांक 10/11/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को 02 प्रस्तुतीकरण के अवसर दिये जाने के बाद भी परियोजना प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं और न ही उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर समय चाहा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करने में रुचि नहीं ले जा रही है। अतः इस प्रकरण को नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाना अनुशंसित है।।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 22.05.2023 के माध्यम से प्रकरण को Relist किया जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist कर SEAC को परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

2. प्रकरण क्र. 7305/2020- परियोजना प्रस्तावक मेसर्स फाच्यून स्टोन लि. निवासी 11, बंगला नं. 02, लोकनाथपुरम, सागर रोड, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा ग्रेनाइट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 711 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 901 भाग, रकबा 1.40 हेक्टेयर, ग्राम कटहरा, तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

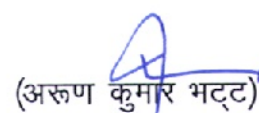
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 788 वी बैठक दिनांक 19.05.2023 निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-


(मुजीबुर्रहमान खान)

सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)

सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)

अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 640वी बैठक दिनांक 26.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 786 वी बैठक दिनांक 11.05.2023 निम्नुसार निर्णय लिया गया :-

प्रकरण में अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान पहाड़ी की तलहटी पर स्थित है तथा उत्तर एवं पूर्व दिशा में खदान से लगी हुई आबादी है, आवंटित खनन क्षेत्र के समीप जल रोकने वाली संरचना 50 मीटर की दूरी पर स्थित है तथा वन कक्ष क्रमांक पी.-703 की सीमा से 0 (शून्य) कि.मी. पर होना परिलक्षित है। अतः प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ स्पष्टीकरण हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत होंगे।

प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक (श्री सौरभ पाठक, संचालक, मेसर्स फाच्यून स्टोन लि.) अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार (श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इन्चार्ज सर्विसेस) के साथ स्पष्टीकरण हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हुये, जिसमें उनके द्वारा खनन हेतु ब्लास्टिंग न किये जाने, समीपस्थ आबादी को खदान से दूर अपनी निजी भूमि पर विस्थापित करने, पूर्व से प्राप्त लीज में खनन कार्य पूर्ण करने के उपरांत ही प्रस्तावित खदान में उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं सुरक्षा की दृष्टि से पहाड़ी के चारों ओर रिटैनिंग वाल निर्माण किये जाने हेतु प्रतिबद्धता की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त प्रतिबद्धता हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर दिनांक 29.05.2023 को ADS के माध्यम से नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत निम्नानुसार प्रतिबद्धता की गई है :-

- 1- Blasting shall not be carried out for excavation of granite.
- 2- Mining shall be done at upper lease of 27 hect first and subsequently lease area of 1.40 hact shall be approached through the same.
- 3- The habitation located near to mine area of 1.40 hact shall be shifted prior to start of operation.
- 4- The place left after shifting shall be developed as green belt.
- 5- Though retaining wall has been made at downside of the hillock, however we shall construct the retaining wall completely wherever left.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतिबद्धता एवं SEAC की 640वी बैठक दिनांक 26.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

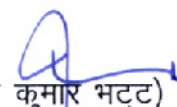
- (i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले जल रोकने वाली संरचना से न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जायें।



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

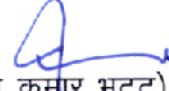
**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण**

- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा की गई प्रतिबद्धता अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा की गई प्रतिबद्धता अनुसार खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व खनन एरिया के आसपास स्थित आवासों को जिला प्रशासन के सहयोग से कम से कम 100 मीटर दूर शिफ्ट किया जाये तथा उस क्षेत्र को हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा की गई प्रतिबद्धता अनुसार खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पहाड़ी के डाउन तरफ जिला स्तर पर PWD के सक्षम प्राधिकरी के पर्यवेक्षण में रिटेनिंग वॉल का निर्माण किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा संभागीय आयुक्त सागर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 20/12/2017 की अनुशंसा अनुसार वन सीमा की ओर वन मंडल अधिकारी के निर्देशन में पक्की सीमेन्ट पत्थर दीवार का निर्माण करेगा। वन मंडलाधिकारी के निर्देशन में वन सीमा की ओर सघन वृक्षारोपण करेगा तथा वन भूमि के अंदर मलबा नहीं डालेगा तथा अन्य सभी शर्तों का भी परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन किये जाने के पूर्व खनन क्षेत्र में पहाड़ी पर स्थित बड़े-बड़े बोल्टरों को तत्काल हटाया जाये।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं सक्षम प्राधिकृत संस्थाओं को प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा :-

Plant Species for Mine Area, Transportation road and its Boundary			
Phase	Name of Tree/ shrub/Herbs	No. of Plants	Location
1 st Year	Neem, White Kastar, Chirol, Khamer and other species Seeds of local species etc. Row To Row Distance : 2.5 mtr Plant To Plant Distance 3 mtrs	1000	Along with barrier zone
Along with Mining Operation	Karanj, Jangal Jalebi, White Kastar, Neem, Chirol, Khamer, and other local species etc.	1800	backfilled area


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण**

1 st year	Mango, Kathal, Khamer, Neeem, Pipal, Jamun and other local species etc with tree gard.	200+1000	Road and village distribution	Side For
Total		4000		

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम कटहरा व बागमउ के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सीय अधिकारी के परामर्श से आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाये।
- ग्राम कटहरा में ग्रामवासियों के लिये वर्ष में 02 बार मेडिकल कैम्प का आयोजन किया जाये तथा औषधि वितरित की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स फाच्यून स्टोन लि. निवासी 11, बंगला नं. 02, लोकनाथपुरम, सागर रोड़, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा ग्रेनाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 711 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 901 भाग, रकबा 1.40 हेक्टेयर, ग्राम कटहरा, तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म का आदेश क्र. 1865-66 दिनांक 31.01.2019 अनुसार 20 वर्ष (25.01.2016 से 24.01.2036 तक) की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 24.01.2036 तक वैध मान्य रहेगी।

3. **Case No 9363/2022:** Prior Environment Clearance for Expansion of Manufacturing of Metallic Stearates & Intermediate Liquid Metal Soaps at Plot No. 2 & 2 - C, Industrial Area 2 & 3, AB Road, Dist. Dewas, MP by M/s Baerlocher India Additives Pvt. Ltd, Shri AkhileshKumawat, India Operation Head, Plot No. 2 & 2 - C, Industrial Area 2 & 3, AB Road, Dist. Dewas, MP - 455001


(मुजीबुर्रहमान खान)

सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)

सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)

अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण**

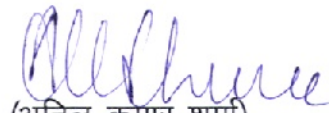
परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में SEIAA की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023 में निर्णित कार्यवाही के परिपालन में परिवेश पोर्टल ऑनलाईन ADS दिनांक 04.06.2023 के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत किया गया एवं निर्माण कार्य के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें निर्माण कार्य पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति के सम्बन्ध में लिखी गई है एवं परियोजना प्रस्तावक ने यह भी सुनिश्चित करेगा कि बिना पर्यावरण स्वीकृति के किसी भी प्रकार का *expansion* कार्य नहीं करेंगे।

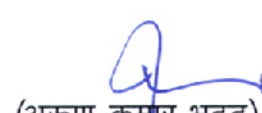
1. उक्त प्रकरण को पूर्व में SEIAA प्रकरण क्रमांक 6497 /2019 में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति (पत्र क्र. 4111-12/SEIAA/20 दिनांक 20-01-20) उत्पादन क्षमता Solid Stabilizers - 61000 Liquid Stabilizers - 4500 Metallic Stearates - 20000 Intermediate Liquid metal soaps - 3200 MT Per annum के लिए जारी की गई थी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केवल दो उत्पादों में 65,500 एमटीपीए से 1,38,700 एमटीपीए तक विस्तार का प्रस्तावित किया गया है। (Solid Stabilizer from 61,000 MTPA to 1,01,000 (adding 40,000 MTPA) and Liquid Stabilizer from 45,00 MTPA to 14,500 (adding 10,000 MTPA) अन्य उत्पाद यथावत ही रहेंगे।

Sr No	Type of Product	Existing capacity Qty/Year (Mt)	Proposed Expansion Qty/Year (Mt)	Total After expansion Qty/ Year (Mt)
1	Solid Stabilizer/Metallic Soaps	61000	40000	101000
2	Liquid Stabilizer/Metallic Soaps	4500	10000	14500
3	Solid Metallic Stearates	20000	0	20000
4	Intermediate Liquid Metal Soaps	3200	0	3200

3. प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 611वीं दिनांक 14.12.2022 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया, उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 36 से 38 तक अंकित है। इस परियोजना का ToR पत्र क्र. 2623 दिनांक 19.12.2021 के माध्यम से MPSEIAA द्वारा जारी किया गया है।
4. परियोजना हेतु SEAC की 638वीं बैठक दिनांक 18.04.2023 को पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है, जिसका कार्यवाही विवरण उक्त बैठक के पृष्ठ क्र.01 से 10 पर अंकित हैं।
5. सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणित अनुपालन रिपोर्ट के अनुसार है कोई नॉन-कंप्लायंस रिपोर्ट नहीं पायी गई है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रक्रिया द्वितीयक रोकथाम के साथ-साथ सभी आवश्यक इंजीनियरिंग नियंत्रण प्रदान किए हैं, ताकि किसी भी रसायन/बहिस्त्राव को गलती से वर्षा


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

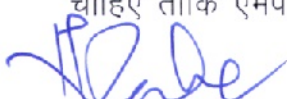
**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण**

जल नाली में बहने से रोका जा सके और संयंत्र जेडएलडी पर आधारित है। (50 केएलडी ईटीपी के बाद 50 केएलडी आरओ, एमईई और एटीएफडी टीवीआर तकनीक के साथ) इसलिए परिसर के बाहर पानी नहीं छोड़ा जाएगा। बहिःस्राव जल का विनिर्माण, उपयोगिता और वृक्षारोपण में पुनः उपयोग किया जाएगा।

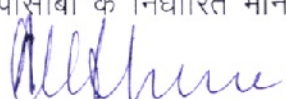
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 638वीं बैठक दिनांक 18.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- (i) परियोजना के expansion में होनेवाली पानी की आवश्यकता MPAKVN जलापूर्ति के माध्यम से ही पूरी की जाये।
- (ii) उद्योग से उत्पन्न Waste Heat का अधिकतम पुनर्उपयोग उद्योग में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- (iii) उद्योग से उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न खतरनाक कैमिकल जैसे फिनॉल, फार्मलडीहाईड इत्यादि रसायन का अधिकतम रिकवरी प्रचलित विधियों के द्वारा किया जाये।
- (iv) रिसाव का पता लगाने के लिए मशीनरी के संचालन के दौरान सभी ईंधन, तेल, या द्रव युक्त फिटिंग, होसेस और सील का निरीक्षण नियमित रूप से किया जाना चाहिए एवं इसका रिकार्ड भी रखा जाये।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोडिंग-अनलोडिंग क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक प्रावधान जैसे इस क्षेत्र के भू स्थल/ठोस सरफेस का विकास, क्षेत्र की साफ सफाई, इस क्षेत्र के अपशिष्ट का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से निष्पादन एवं अन्य उपाये किए जाए।
- (vi) अपशिष्ट जल के संबंध में परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहिए:

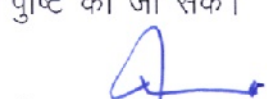
- विभिन्न प्रसंस्करण इकाइयों, उपकरणों की सफाई, फर्श की धुलाई आदि से निकली अपशिष्ट जल को सेटलिंग टैंक में एकत्र किया जाना चाहिए और पुनः उपयोग किया जाना सुनिश्चित करे।
- उपचारित अपशिष्ट जल का 100% पुनर्चक्रण होना चाहिए और उद्योग इकाई से "शून्य तरल निर्वहन" (ZLD) सुनिश्चित करे।
- बारिश के पानी की निकासी के लिए स्टॉर्म वाटर निकासी की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रक्रिया अपशिष्ट जल को स्टॉर्म वाटर के साथ मिश्रित नहीं होने देना चाहिए।
- परियोजना प्रस्तावक को उपचारित अपशिष्ट जल की नियमित निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि एमपीपीसीबी/सीपीसीबी के निर्धारित मानदंडों की पूर्ति की जा सके।


(मुजीबुर्रहमान खान)

सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)

सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)

अध्यक्ष

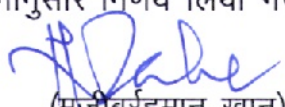
**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण**

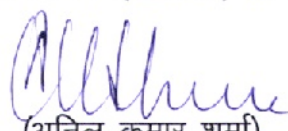
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण के साथ ही प्लांट के चारों ओर बाउन्ड्री के किनारे तीन कतारों में वृक्षों की उन प्रजाति का चयन कर सघन वृक्षारोपण किया जावे जिनमें प्रदूषण को अवशोषित करने की क्षमता हो।
- (viii) सघन हरित क्षेत्र (33% से कम नहीं) साइट के चारों ओर विशेष रूप से प्रमुख हवा की दिशा में विकसित किया जाना चाहिए।
- (ix) संयंत्र उत्पाद परिवहन हेतु ई-वाहनों की संभावनाओं को भी तलाशा जावे।
- (x) ईकाई से निकलने वाली दुर्गन्ध के शमन के लिये Guidelines on Odour Pollution & Its Control, May 2008, Central Pollution Board, Ministry of Environment Govt. of India यथा संशोधित यदि हो तो सुझाये उपायों के अनुकूल व्यवस्था की जाये।
- a. दुर्गन्ध उत्पन्न करने वाले घटकों को चिह्नित कर उनके लिये पर्याप्त तकनीकी दृष्टि से नियंत्रण की सक्षम कार्यवाही किया जाये। ETP के आस पास भूदृश्यीकरण कर उसे सुसज्जित करे साथ ही सुगंध उत्पन्न करने वाले पौधों / झाड़ियों का रोपण इस क्षेत्र में करे।
- b. दुर्गन्ध वाले क्षेत्रों की सीमा रेखा पर नोजल स्प्रेयर एवं एटलाइजर का निरंतर छिड़काव की व्यवस्था की जाये।
- c. उपाय जैसे मिस्ट फिल्टरेशन, वेट स्कर्विंग, केमिकल उपचार एवं ग्रीन बेल्ट जैसे अन्य उपायों से दुर्गन्ध शमन पर प्रभावी कदम उठाये जाये।
- (xi) परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO₂ उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।

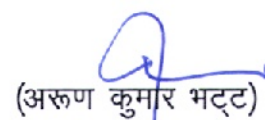
प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 638वीं बैठक दिनांक 18.04.2023 की कार्यवाही विवरण, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों के साथ उपरोक्त बिंदु i से xi एवं परिशिष्ट-3 को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. प्रकरण क्रमांक 9032/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री अब्दुल सलाम आत्मज श्री करीम बक्श, निवासी- सिविल लाईन, झॉसी, जिला झॉसी (उ.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 85000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 850/4, रकबा 4.0 हेक्टेयर, ग्राम सकुली, तहसील निवाडी, जिला निवाडी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 714वीं बैठक दिनांक 24.03.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा) -
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 560वी बैठक दिनांक 12.03.2022 में उक्त प्रकरण को Delist किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से SEAC की 560वी बैठक दिनांक 12.03.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किये जाने का निर्णय लिया गया, तदुपरांत परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 01.06.2023 के माध्यम से प्रकरण को Relist किया जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist कर SEAC को परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

5. प्रकरण क्र 9758/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र सिंह आत्मज श्री रतन सिंह, निवासी ग्राम रूपेटा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 8600 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 167/1/24, ग्राम रूपेटा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 632वी बैठक दिनांक 21.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 781वीं बैठक दिनांक 12.04.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानों का खुदा हुआ एरिया एवं खदान से लगी हुए कंटूर ट्रेंचेस भी परिलक्षित है जबकि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सीहोर के एकल प्रमाण पत्र क्र. 423 दिनांक 03.01.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान नहीं होने का लेख किया गया है।

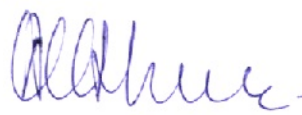
अतः कलेक्टर, जिला सीहोर प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों की संबंधित अधिकारी से स्थल निरीक्षण करवाकर स्पष्ट जानकारी 15 दिवस में SEIAA को प्रेषित की जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाये, तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के परिपालन में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर का पत्र क्र. 1531 दिनांक 02.06.2023 परिवेश पोर्टल पर आनालाईन ADS दिनांक 05.06.2023 के माध्यम से प्रस्तुत की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं SEAC की 632वी बैठक दिनांक 21.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित प्रकरण को Relist करते हुये पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण**

- (i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले हाईवे से न्यूनतम 200 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय हैं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के पास स्थित कंटूर ट्रेन्चेस का संरक्षण किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1	बैरियर जोन	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरोल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	350
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	150
3	रूपेटा ग्रामवासियों में वितरण हेत	बेल, इमली, आंवला, कटहल, मुनंगा, आम, रुद्राक्ष, सीताअशोक, अमरुद, इत्यादि।	680
4	शासकीय विद्यालय रूपेटा में	कदंब, अमलतास, मोलश्री, अशोक, नीम, गुलमोहर इत्यादि।	20
योग			1200

- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनवाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम पंचायत रूपेटा के शासकीय स्कूल में 15 टेबल एवं 15 कुर्सी प्रदान की जाये।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र सिंह आत्मज श्री रतन सिंह, निवासी ग्राम रूपेटा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 8600 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 167/1/24, ग्राम रूपेटा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर का पत्र क्र. 1591 दिनांक 14.12.2020 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 13.12.2030 तक वैध मान्य रहेगी।

6. प्रकरण क्र 9819/2022— परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एम.के.सी. इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., अधिकृति व्यक्ति श्री धर्मेन्द्र मेहता, निवासी— शिवनगर, अंजार, कच्छ (गुजरात) द्वारा पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष व एम.सेण्ड 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 157/1, रकबा 3.90 हेक्टेयर, ग्राम अंत्रालिया, तहसील सुवासरा, जिला मंदसौर (म. प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 640वी बैठक दिनांक 26.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

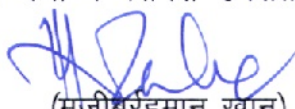
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया

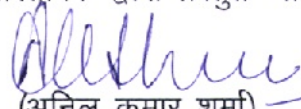
उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्वीकृत आवंटित खनन क्षेत्र में कुल 15 पेड़ लगे हैं जिसमें से 03 पेड़ काटे जायेंगे तथा उनके एवज में 30 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे।

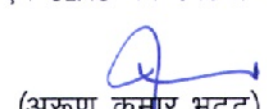
परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जायें।

प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के परिपालन में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की जानकारी परिवेश पोर्टल पर आनालाईन ADS दिनांक 14.06.2023 के माध्यम से प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं SEAC की 640वी बैठक


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

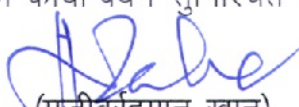
**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण**

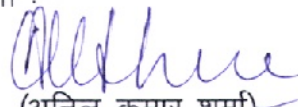
दिनांक 26.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

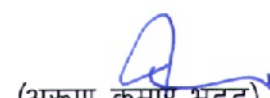
- (i) मंदसौर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्राकृतिक नाला से न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जायें।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन आरंभ किये जाने के पूर्व जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी से अनापत्ति प्राप्त करेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 15 वृक्षों में से काटे जाने वाले 03 पेड़ के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत रोपित 30 पौधों का संरक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधों के संरक्षण हेतु ट्री-गार्ड लगाये जायें।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा :-

क्र.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- खमेर, नीम, चिरौल, पीपल, सिस्सू, बबूल, जंगल जलेबी, करंज, सीताफल, चिरोल आदि।	960
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर ट्री गार्ड के साथ)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- नीम, खमेर, सिस्सू, पीपल, चिरोल, पुत्रंजीवा, करंज, कदम्ब आदि।	270
3.	ग्राम अंत्रालिया के नजदीक स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- कचनार, कदम्ब, चिरोल, नीम, बरगद, पीपल, पुत्रंजीवा आदि।	50
4.	ग्राम अंत्रालिया के ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- मूंगा, आम, संतरा, जामुन, सीताफल, कटहल, संतरा आदि।	3430
योग			4680

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनवाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम अंत्रालिया में पानी की सुविधा हेतु हैंडपंप लगवाने का कार्य किया जाये एवं उसके आस पास कॉन्क्रीटिंग करवाकर पानी की निकासी के लिए उचित व्यवस्था की जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनवाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

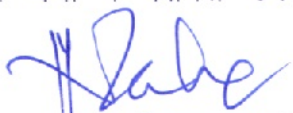
परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एम.के.सी. इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., अधिकृति व्यक्ति श्री धर्मेन्द्र मेहता, निवासी- शिवनगर, अंजार, कच्छ (गुजरात) द्वारा पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष व एम.सेण्ड 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 157/1, रकबा 3.90 हेक्टेयर, ग्राम अंत्रालिया, तहसील सुवासरा, जिला मंदसौर (म.प्र.) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर का पत्र क्र. 2648 दिनांक 25.11.2022 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 24.11.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

7. प्रकरण क्र 463/2009 परियोजना प्रस्तावक श्री विनोद कुमार खेड़िया आत्मज श्री राधेश्याम खेड़िया, निवासी- बिजुरी, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) द्वारा ग्रेनाईट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 11000 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 28/1, रकबा 5.50 हेक्टेयर, ग्राम सिलपतपुरा, तहसील चंदला, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

उक्त प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा पत्र क्र. 2407-08 दिनांक 20.12.2022 के माध्यम से पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरित की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर दिनांक 15.06.2023 को पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 04.05.2029 के स्थान पर 04.05.2039 किये जाने हेतु फार्म-10 में **Coorigendum** के लिये लीज वैधता से संबंधित दस्तावेज लीज अनुबंध दिनांक 01.03.2021 की प्रति के साथ आवेदन किया गया है।

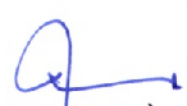
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को मान्य करते हुए



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण

पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण पत्र क्र. 2407-08 दिनांक 20.12.2022 में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 04.05.2029 के स्थान पर दिनांक 04.05.2039 पठन किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

8. **Case No. - 9061/2022** : Environment Clearance for Aulliya Medium Irrigation Project at Village Roshani/Aulliya, Distt. - Khandwa, (M.P.) CCA – 5000 ha The Executive Engineer, Office of the Executive Engineer, Water Resources Division, Dist. Khandwa, MP,) Env. Consl.: M/s. R. S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd, Gurgaon.

SEIAA की 740वीं बैठक दिनांक 30.07.2022 के निर्णयानुसार प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करते हुये बैंक गारंटी राशि रु. 268.29 लाख तथा जुर्माना राशि रु. 32.133 लाख जमा करने हेतु SEIAA पत्र क्र. 1352 दिनांक 08.08.2022 के माध्यम से सूचित किया गया था, जिसके संदर्भ कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, खंडवा का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा निम्नानुसार अनुरोध किया गया है—

1. जुर्माना राशि रु. 32.133 लाख मध्य प्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड में दिनांक 11.11.22 को जमा की गई है।
2. बैंक गारंटी के संबंध में जल संसाधन विभाग के पास कोई बैंक खाता संचालित नहीं हैं, जिसके माध्यम से बैंक गारंटी बनवाकर प्रस्तुत की जा सके। बैंक गारंटी के स्थान पर undertaking (विभागीय अनापत्ति पत्र) मान्य करने हेतु निवेदन किया है। Remediation Plan में प्रस्तावित कम्प्युनिटी के कार्य हेतु विभाग सहमत है तथा प्रस्तावित राशि 2.68 करोड़ सम्बंधित विभागों को देने हेतु प्रतिबद्ध है।
3. MPPCB द्वारा Credible Action की कार्यवाही हेतु सभी दस्तावेज उपलब्ध करवा दिए गए हैं कार्यवाही मध्य प्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जानी है।

चूँकि परियोजना मध्य प्रदेश शासन की है एवं परियोजना के क्रियान्वयन से जनहित के लाभ को देखते हुए विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव अनुसार Remediation Plan में राशि 2.68 करोड़ की परियोजना प्रस्तावक/कार्यपालन यंत्री द्वारा हस्ताक्षरित undertaking प्रस्तुत करेंगे जिसमें उल्लेख करेंगे कि प्रस्तावित Remediation Plan का क्रियान्वयन 01 वर्ष के अंदर अनिवार्य रूप से किया जावेगा। प्राधिकरण के समक्ष अंडरटेकिंग प्रस्तुत करने पर पर्यावरण स्वीकृति जारी की जावे।

उपरोक्त निर्णित कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/निर्देशों के अधीन रहेगी। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

9. **Case No. - 9241/2022** Environment Clearance for Cement Grinding Unit, Capacity-300TPD (Ball Mill 3X100 TPD) at E-8, 9, 10, Industrial Area, Jaderua, Tehsil Joura, Dist. Morena, (MP) by M/s J.P. Minerals Industries, through Smt. Renu Bansal, Prop., E-8, 9, 10, Industrial Area, Jaderua, Dist. Morena, MP – 476001 Env't. Consultant:M/s. Ascenso Enviro Private Limited



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण**

प्रकरण आज प्राधिकरण की 792वीं बैठक दिनांक 20/06/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा Email (दिनांक 19.06.23) के माध्यम से सूचित किया गया है की मेडिकल इमरजेंसी के कारण SEIAA बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है, इसलिए प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने हेतु अनुरोध को मान्य किया।

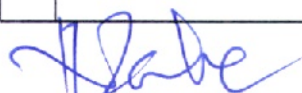
10. प्रकरण क्र. 9919/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती नूरजहां बी पत्नि श्री लियाकत खान, निवासी- 177 हीरा कॉलोनी, कैप्टन हीरासिंह मार्ग, महिदपुर जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम. सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 6000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम. सेण्ड-14000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.000 हेक्टेयर, खसरा 748, 751 ग्राम डेलचीबुजुर्ग तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

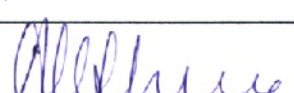
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 649वी बैठक दिनांक 07.06.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

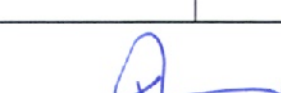
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 649वी बैठक दिनांक 07.06.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) उज्जैन जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्राकृतिक नाला से न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं SEAC की अनुशंसा अनुसार जहाँ वृक्ष है वहाँ 12 मीटर का नॉन माइनिंग जोन छोड़ा जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, खमेर, सिस्सू आदि।	600


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण**

2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आदि	800
3.	ग्राम डेलची बुजुर्ग के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल आदि (पूर्ण सुरक्षा)	200
4.	ग्रामीणों में वितरण	आम, जामुन, अमरुद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि	800
योग			2400

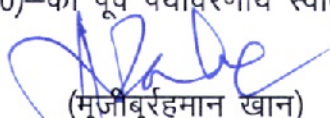
(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन 01 वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा :-

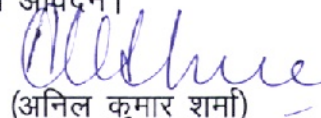
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम डेलचीबुजुर्ग के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर, प्रिन्टर मय टेबल के साथ प्रदान किया जाये।

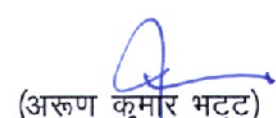
साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्रीमती नूरजहां बी पत्नि श्री लियाकत खान, निवासी- 177 हीरा कॉलोनी, कैप्टन हीरासिंह मार्ग, महिदपुर जिला उज्जैन (म0प्र0) द्वारा पत्थर एवं एम. सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 6000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम. सेण्ड-14000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.000 हेक्टेयर, खसरा 748, 751 ग्राम डेलचीबुजुर्ग तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन (म. प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला उज्जैन का पत्र क्र. 306 दिनांक 07.02.2023 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 06.02.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

11. प्रकरण क्र. 9902/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स प्रियंका शर्मा आत्मज श्री चेतन शर्मा निवासी- सुभाष मार्ग तहसील खाचरोद जिला उज्जैन (म0प्र0)-456224 द्वारा पत्थर एवं सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 7000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं सेण्ड-13000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.35 हेक्टेयर, खसरा 654, ग्राम चिरोला, तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन (म0प्र0)-की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 649वी बैठक दिनांक 07.06.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 649वी बैठक दिनांक 07.06.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) उज्जैन जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर किया जायें।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा तथा उनका संरक्षण किया जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	नीम, सीताफल, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, गुग्गल, सफेद कस्टार, सिस्सु, सफेद और कला मिरस आदि।	360
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कुसुम (30%) कदम, चिरोल, आदि	300
3.	ग्राम चिरोल के शासकीय विद्यालय, ग्राम पंचायत परिसर में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कुसुम कदम, चिरोल, कटहल आदि (पूर्ण सुरक्षा)	400
4.	ग्राम चिरोल के रामदेव बाबा मंदिर में	तुलसी, कदम, उतरन जीवा, बेल, पीपल, बरगद आदि	200
5.	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरुद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि	200



(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण

योग 1660

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन 01 वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा :-

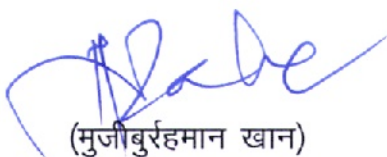
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम चिरोल के आंगनबाड़ी केन्द्र में शौचालय का निर्माण पानी की टंकी के साथ किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

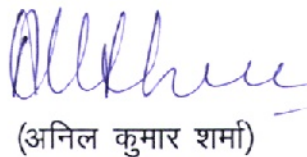
परियोजना प्रस्तावक मेसर्स प्रियंका शर्मा आत्मज श्री चेतन शर्मा निवासी- सुभाश मार्ग तहसील खाचरोद जिला उज्जैन (म0प्र0)-456224 द्वारा पत्थर एवं सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 7000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं सेण्ड-13000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.35 हेक्टेयर, खसरा 654, ग्राम चिरोला, तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला उज्जैन का पत्र क्र. 311 दिनांक 07.02.2023 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 06.02.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

12. प्रकरण क्र. 9907/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री कपिल पटेल आत्मज श्री जयशंकर पटेल, निवासी- 103/1, रपट रोड़ जावरा, जिला रतलाम (म0प्र0)-456224 द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 7600 घ0मी0 प्रतिवर्ष, रकबा 1.998 हेक्टेयर, खसरा 17/1 ग्राम रोजाना, तहसील जावरा, जिला रतलाम (म0प्र0)-की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

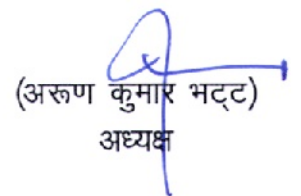
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 649वी बैठक दिनांक 07.06.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-



(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव



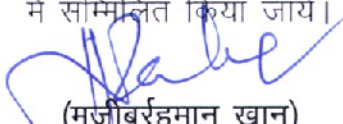
(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

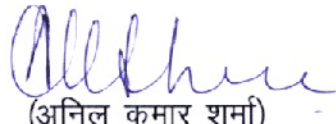


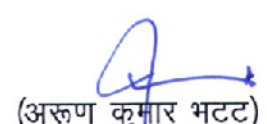
(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु ई.आई.ए. प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व DEIAA रतलाम द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पूर्णतः परिपालन सुनिश्चित करने के उपरांत ही पर्यावरण स्वीकृति के आवेदन पर विचार किया जायेगा तथा इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।
- II. प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य परियोजना प्रस्तावकों द्वारा संचालित खदानों में SEIAA/DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का बिन्दुवार परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में समाहित किया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू-जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू-जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी विभागीय निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी जिला खनिज अधिकारी के माध्यम से नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी, जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।
- VI. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय-समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा तथा इसका अनुपालन कैसे किया जायेगा का ईआईए प्रतिवेदन में उल्लेख किया जाये।
- VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण

- XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- XII. मैनुअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।
- XIII. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIV. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XVI. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।
- XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा
- XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्विपमेन्ट लगाकर उसका डिस्ले किया जाये एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।
- XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।
- XX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)

सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)

सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)

अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण

XXI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के आस-पास स्थित कृषि क्षेत्र के संरक्षण की योजना तैयार कर इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

13. प्रकरण क्र. 9906/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सिसोदिया माइनिंग प्रा0लि0, प्रो0 श्री ठाकुर विनय बहादुर सिंह, निवासी- सत्येन्द्र भवन, भट्टा मोहल्ला तहसील व जिला कटनी (म0प्र0)-456224 द्वारा चूनापत्थर एवं डोलोमाइट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता विस्तार 7045 टन प्रतिवर्ष से चूनापत्थर 87600 डोलोमाइट-11607 टन प्रति वर्ष रकबा 17.44 हेक्टेयर, खसरा 213/2, 214/258, 211, 213/1 ग्राम भटगवां सुनेहरा, तहसील मुरवारा, जिला कटनी (म0प्र0)-की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 649वी बैठक दिनांक 07.06.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 19.06.2023 के माध्यम से मेसर्स सिसोदिया माइनिंग के स्थान पर मेसर्स वीरेन्द्र एण्ड सन्स किये जाने के अनुरोध पर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि चूँकि प्रकरण उत्पादन क्षमता विस्तार का है। अतः पूर्व में प्रकरण क्र. 75/2008 में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक 25.05.2011 में निहित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय से सत्यापित अनुपालन प्रतिवेदन एवं उपरोक्त फर्म के नाम परिवर्तन संबंधित अभिप्रमाणित दस्तावेजों सहित परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित हों। तदोपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तबतक प्रकरण को **Delist** किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

14. प्रकरण क्र. 9911/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री अनिल कुमार मालवीय आत्मज स्व. श्री हरि नारायण मालवीय, निवासी- मकान नं0 06, भवानी नगर, इन्द्रपुरी, जिला भोपाल (म0प्र0)-456224 द्वारा पत्थर एवं एम. सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 46500 एवं एम. सेण्ड-31000 घ0मी0 प्रतिवर्ष, रकबा 3.997 हेक्टेयर, खसरा 177/4 ग्राम खादमपुर, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल (म0प्र0)-की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 649वी बैठक दिनांक 07.06.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

1. प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य परियोजना प्रस्तावकों द्वारा संचालित खदानों में SEIAA/DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का बिन्दुवार परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में समाहित किया जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)

सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)

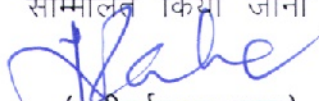
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)

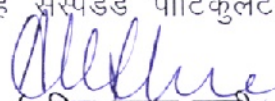
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण

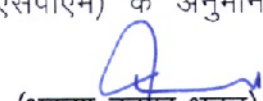
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू-जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू-जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी विभागीय निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी जिला खनिज अधिकारी के माध्यम से नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी, जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।
- V. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय-समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा तथा इसका अनुपालन कैसे किया जायेगा का ईआईए प्रतिवेदन में उल्लेख किया जाये।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुनर्उपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।
- X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लॉस्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लॉस्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- XI. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सरपेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को


(मुजीबुर्रहमान खान)

सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)

सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)

अध्यक्ष

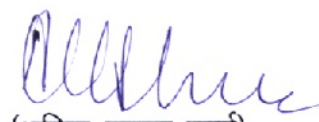
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण

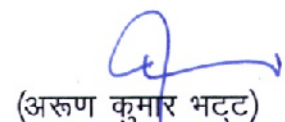
सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

- XII. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XV. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।
- XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा
- XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्ट्रे किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।
- XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।
- XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।
- XX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के आस-पास स्थित कृषि क्षेत्र के संरक्षण की योजना तैयार कर इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

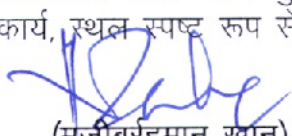
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण

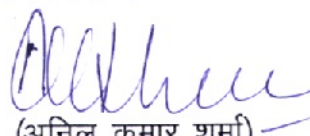
15. **Case No 9912/2023:** Prior Environment Clearance for Common Bio Medical Waste Treatment Facility at Survey No - 36/5 ,Village Tutipura, Tehsil & District Rajgarh, Madhya Pradesh , Total Plot Area - 1.38 Acres (5610sq.m) by Smt. Pramila Sharma, Director, M/s Prathvi Eco Care House No. -8, 5 Vinay Grah, Nirman Society Hoshangabad Road, Jatkhedi, Tehsil Huzur, Distt. – Bhopal (M.P.). 462026. Cat. – 7(da) Env't. Consultant:M/s. Shivalik Solid Waste Management Limited, Dhakoli, Zirakpur, Punjab

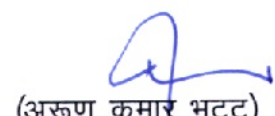
- उपरोक्त विषयांकित प्रकरण मैसर्स पृथ्वी इको केयर द्वारा आमजैव-चिकित्सा अपशिष्टउपचार सुविधा के लिए प्रस्तावित 200 किलोग्राम प्रतिघंटे की क्षमतावाले CBWTF की स्थापना खसरा संख्या-36/5, ग्राम तूतीपुरा, तहसील और जिला राजगढ़ (म.प्र) में लगाने के पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
- प्रस्तावित उपकरणों का विवरण निम्नानुसार है:
 - 01 Incinerator of 200 Kg/hr,
 - 01 Autoclave of 1000 L/batch, and
 - 01 Shredder of 100 kg/hr of incinerator
 - 01 ETP of 7.5 KLD
- परियोजना हेतु SEAC की 649 वीं बैठक दिनांक 07.06.2023 को "ToR प्रदान " किये जाने की अनुशंसा की गई है, जिसका कार्यवाही विवरण उक्त बैठक के पृष्ठ क्र. 12 से 15 पर अंकित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 649 वीं बैठक दिनांक 07.06.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- प्रस्तावित यूनिट के लिए जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार हेतु तथा एकत्रित करने के लिए प्रस्तावित जिले के परिवहन मार्ग को भी दर्शाएं।
- ऐसी इकाइयों की स्थापना के लिए स्वास्थ्य विभाग के दिशा-निर्देशों को ईआईए रिपोर्ट में शामिल करें।
- ईटीपी से उत्सर्जित Sludge के निपटान की प्रक्रिया के साथ ही ईआईए रिपोर्ट में भौतिक रासायनिक मापदंडों सहित ईटीपी से उपचारित अपशिष्ट जल के निष्पादन (Disposal) के लिए निगरानी प्रावधानों का ईआईए में समावेश करें।
- ईआईए रिपोर्ट में CBWTF के संचालन अवधि में परियोजना में प्रस्तावित ई टी पी के संचालन के समय में ऊर्जा खपत का आकलन किया जावे।
- ईआईए प्रतिवेदन में प्रस्तावित कार्य स्थल का विस्तृत ले आउट प्लान संलग्न करें, जिसमें प्रावधानित सभी कार्य मुख्यतः हरित क्षेत्र विकास, लैंड स्केप प्लान एवं समस्त गतिविधियों के कार्य, स्थल स्पष्ट रूप से दर्शित करें।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण

- vi. पर्यावरण प्रबंधन योजना में प्लांट के संचालित होने पर दुर्गन्ध का नियंत्रण एवं उपचार हेतु क्या प्रावधान किये जा रहे हैं का विस्तृत विवरण दें।
- vii. चूँकि परियोजना स्थल रोड के समीप है अतः इस सम्बन्ध में चिमनी का प्रस्तावित location एवं अन्य सुरक्षा सम्बन्धी उपायों का EIA में उल्लेख करें।

16. **Case No 9834/2023:** Prior Environment Clearance for Construction of Multi Model Logistics Park (MMLP) in an area of 103.26 ha. at Khasra No. Village-Kheda, Jamodi & Akolia, Tehsil-Pithampur, District-Dhar, (MP) by Project Director, National Highways Authority of India Indore, 15 Sampat Hills, Opp. Sahara City, Indore Bypass, Indore (MP)-452016,

1. उक्त प्रकरण ग्राम-खेड़ा, जमोडी और अकोलिया, तहसील-पीथमपुर, जिला-धार, (एमपी) में 103.26 हेक्टेयर क्षेत्र में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के निर्माण के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. मध्य प्रदेश सरकार मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास के लिए भूमि उपलब्ध करा रही है, एनएचएलएमएल के माध्यम से एनएचएआई बाहरी 4 लेन कनेक्टिंग रोड, जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति प्रदान कर रहा है। रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) द्वारा साइट पर रेल कनेक्टिविटी प्रदान किया जा रहा है।
3. परियोजना हेतु SEAC की 649 वीं बैठक दिनांक 07.06.2023 को "ToR प्रदान " किये जाने की अनुशंसा की गई है, जिसका कार्यवाही विवरण उक्त बैठक के पृष्ठ क्र. 15 से 20 पर अंकित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 649 वीं बैठक दिनांक 07.06.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- i. परियोजना स्थल के समीप दो drain cross हो रही है इसके सम्बन्ध में पर्यावरणीय दृष्टिगत उचित प्रबंधों का विवरण दें। परियोजना स्थल का Contour Map संलग्न करें। साथ ही प्रस्तावित Drainage का विवरण भी दें।
- ii. वाटर सप्लाई, सॉलिड वेस्ट प्रबंधन एवं अतिरिक्त उपचारित अपशिष्ट जल के निष्पादन हेतु नगर निगम भोपाल से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति।
- iii. प्रस्तावित ग्रीन बेल्ट का क्षेत्रफल एवं प्रजाति सहित पेड़ों की संख्या।
- iv. परियोजना क्षेत्र और उसके आसपास की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और परियोजना के डिजाइन और संचालन पर उनके प्रभाव का अध्ययन करें।



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

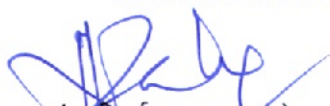
**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण**

- v. वर्तमान की आवश्यकता के दृष्टिगत एवं विद्युत वाहनों के उपयोग में वृद्धि को देखते हुए प्रस्तावित स्थल में पर्याप्त संख्या में विद्युत चार्जिंग पोर्ट स्थापित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- vi. परियोजना प्रस्तावक परिसर के भीतर यथासंभव अधिक से अधिक सौर ऊर्जा प्रकाश व्यवस्था स्थापित करने के प्रस्ताव का उल्लेख करें।
- vii. परियोजना प्रस्तावक ईआईए रिपोर्ट में स्थापित/प्रस्तावित संरचनाओं के विवरण के साथ परिसर में प्राप्त कुल वर्षा जल, वर्षा जल संचयन की संभावना और संचयन की मात्रा के संबंध में गणना प्रस्तुत करें।
- viii. भूकंप, आकाशीय बिजली एवं अग्निशमन के खतरों को ध्यान में रखकर परियोजना के अंतर्गत क्या व्यवस्था की जा रही है का विवरण दें।
- ix. निर्माण के दौरान खुदाई से निकाली जाने वाली मिट्टी की मात्रा एवं उसके प्रबंधन की क्या योजना है विस्तृत विवरण दें।
- x. प्रस्तावित STP का विवरण एवं उनकी स्थापना कहां की जायेगी एवं STP के बाद निकलने वाले उपचारित पानी की गुणवत्ता (BOD, TSS, Faecal Coliform, T-N, T-P, ऑयल ग्रीस की मात्रा एवं pH) क्या रहेगी और इस उपचारित पानी का क्या उपयोग किया जायेगा विवरण दें।

17. Case No 9924/2023 Prior Environment Clearance for Common Bio Medical Waste Treatment Facility at Plot No.- Plot No 16, (P & H) Sector B-I in IGC Maneri, Maneri, District - Mandla (M. P.). Proposed project of setting up of the Common Bio-medical Waste Treatment Facility for treatment of 200+100 kg per hour Static kiln-based bio medical incineration project, includes Incinerator, Autoclave, Shredder, Storage and Effluent Treatment Facility by Shri Sumit Pandey, Partner, M/s KRUPA WASTAGES, NEAR GAYATRI TEMPLE, Shastri Ward, Barapatthar, Seoni, M. P. Cat. – 7(da)

1. उपरोक्त विषयांकित प्रकरण मेसर्स कृपा वेस्टेज, द्वारा आमजैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा के लिए प्रस्तावित इकाई की स्थापना प्लॉट नंबर 16, मनेरी, जिला -मंडला (म.प्र.) में लगाने के पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. 200+100 किलोग्राम प्रति घंटे के स्थिर भट्टा आधारित जैव चिकित्सा भस्मीकरण परियोजना के उपचार के लिए सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा की स्थापना की प्रस्तावित परियोजना, जिसमें भस्मक, आटोक्लेव, श्रेडर, भंडारण और Effluent Treatment Facility शामिल है। प्रस्तावित उपकरणों का विवरण निम्नानुसार है:

- Static Kiln 2 Nos. 200
- Autoclave 1+1Nos. 500 Lit/recycle
- Shredder 1+1Nos. 10 0kg/hr.
- Effluent Treatment Plant 1Nos. 7 KLD


(मुजीबुर्रहमान खान)

सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)

सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)

अध्यक्ष

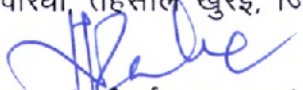
**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण**

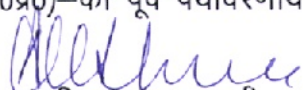
3. परियोजना हेतु SEAC की 649 वीं बैठक दिनांक 07.06.2023 को "ToR प्रदान " किये जाने की अनुशंसा की गई है, जिसका कार्यवाही विवरण उक्त बैठक के पृष्ठ क्र. 20 से 22 पर अंकित है।
4. चर्चा के दौरान यह पाया गया कि एक अन्य सुविधा आम बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी (खसरा नंबर 15 और 17) गाँव-मनेरी, तेह -निवास, जिला-मंडला (म.प्र) में SEIAA केस नंबर -5394/2016, मेसर्स मेडिकेयर एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड, को पत्र सं. 2221-22/एसईआईए/19 दिनांक 12-02-19 के माध्यम से MPSEIAA द्वारा EC जारी की गई थी। जो अभी तक क्रियान्वित नहीं हुई है, अतः इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाये।

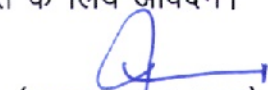
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 649 वीं बैठक दिनांक 07.06.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित CBWTF के कार्य क्षेत्र में पूर्व से स्थित अन्य CBWTF का विवरण भी ईआईए में सम्मिलित करते हुए इस बात का भी अध्ययन करें की पूर्व स्थापित सी बी डब्लू टी एफ के कार्य क्षेत्र में कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है।
- ii. प्रस्तावित यूनिट के लिए जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार हेतु तथा एकत्रित करने के लिए प्रस्तावित जिले के परिवहन मार्ग को भी दर्शाएं।
- iii. ऐसी इकाइयों की स्थापना के लिए स्वास्थ्य विभाग के दिशा-निर्देशों को ईआईए रिपोर्ट में शामिल करें।
- iv. ईटीपी से उत्सर्जित Sludge के निपटान की प्रक्रिया के साथ ही ईआईए रिपोर्ट में भौतिक रासायनिक मापदंडों सहित ईटीपी से उपचारित अपशिष्ट जल के निष्पादन (Disposal) के लिए निगरानी प्रावधानों का ईआईए में समावेश करें।
- v. ईआईए रिपोर्ट में CBWTF के संचालन अवधि में परियोजना में प्रस्तावित ई टी पी के संचालन के समय में ऊर्जा खपत का आकलन किया जावे।
- vi. ईआईए प्रतिवेदन में प्रस्तावित कार्य स्थल का विस्तृत ले आउट प्लान संलग्न करें , जिसमें प्रावधानित सभी कार्य मुख्यतः हरित क्षेत्र विकास, लैण्ड स्केप प्लान एवं समस्त गतिविधियों के कार्य, स्थल स्पष्ट रूप से दर्शित करें।
- vii. पर्यावरण प्रबंधन योजना में प्लांट के संचालित होने पर दुर्गन्ध का नियंत्रण एवं उपचार हेतु क्या प्रावधान किये जा रहें हैं का विस्तृत विवरण दें।

18. प्रकरण क्र. 9920/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री राजा रजनीश पटेल आत्मज श्री संतोष कुमार पटेल, निवासी- ग्राम वारधा, तहसील खुरई, जिला सागर (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 15100 घ0मी0 प्रतिवर्ष, रकबा 4.000 हेक्टेयर, खसरा 575/1 ग्राम वारधा, तहसील खुरई, जिला सागर (म0प्र0)-की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

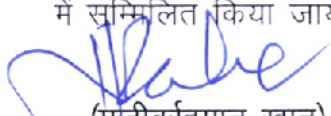

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

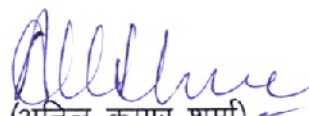

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

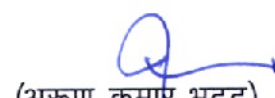
**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 649वी बैठक दिनांक 07.06.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य परियोजना प्रस्तावकों द्वारा संचालित खदानों में SEIAA/DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का बिन्दुवार परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू-जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू-जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी विभागीय निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी जिला खनिज अधिकारी के माध्यम से नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी, जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।
- V. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय-समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा तथा इसका अनुपालन कैसे किया जायेगा का ईआईए प्रतिवेदन में उल्लेख किया जाये।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।

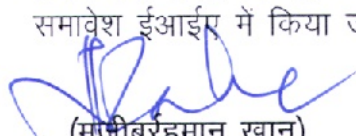

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

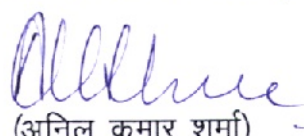

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

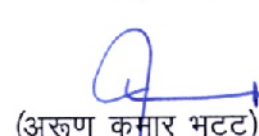

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण

- X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- XI. मैनुअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।
- XII. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XV. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।
- XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा।
- XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जाये एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।
- XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।
- XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कौस्ट बेनिफिट एनालिसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण

XX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के आस-पास स्थित कृषि क्षेत्र के संरक्षण की योजना तैयार कर इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

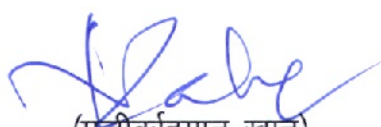
परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

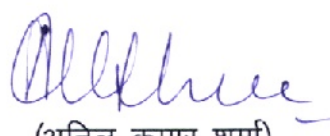
19. **Case No 9913/2023:** M/s Tata Steel Limited, Head Manufacturing LR PC and Product Factory Manager, Plot No. 158, 158A, Sector-III, Industrial Area, Pithampur, Tehsil & Dist. Dhar, MP for Regularization of Existing Production Facilities for Steel Wires of Capacity 180000 TPA [Seeking EC for regularization of existing CTE Capacity as per NGT Order dtd. 12.02.2020 and MoEFCC, Notification S.O. 3250(E) dtd. 20.07.2022] At Plot No. 158 & 158A, Sector-III, Industrial Area Pithampur, Tehsil & District : Dhar, Madhya Pradesh – 454775 by M/s. Tata Steel Limited Cat. 3(a).

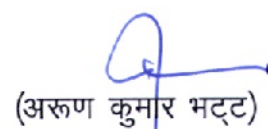
1. उक्त प्रकरण NGT आदेश दिनांक 12 फरवरी, 2020 और MoEFCC, अधिसूचना S-O-3250(ई) दिनांक 20 जुलाई 2022 के अनुसार प्लॉट संख्या 158 और 158ए, औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर, जिला धार (एमपी), में इस्पात तारों (101400 टीपीए) के उत्पादन के लिए मौजूदा उत्पादन सुविधाओं के नियमितीकरण के लिए पर्यावरण मंजूरी का है।
2. कंपनी के पास एमपीपीसीबी से 180000 टीपीए उत्पादन क्षमता के लिए वैध सीटीई है (पत्र संख्या 57134 दिनांक 06.10.2022.)
3. वर्तमान प्रस्ताव ईआईए अधिसूचना 2006 के अनुसार सेक्टर 3 (ए) बी श्रेणी के धातुकर्म उद्योग के अंतर्गत शामिल है।
4. परियोजना हेतु SEAC की 649 वीं बैठक दिनांक 07.06.2023 को "ToR प्रदान " किये जाने की अनुशंसा की गई है, जिसका कार्यवाही विवरण उक्त बैठक के पृष्ठ क्र. 24 से 26 पर अंकित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 649 वीं बैठक दिनांक 07.06.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- i. प्रस्तावित इकाई से उत्सर्जित Solid Waste का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने हेतु उपायों का उल्लेख EIA रिपोर्ट में करे।
- ii. परियोजना स्थल के निकट स्थित इकाईयों का पूर्ण विवरण एवं पर्यावरण पर प्रस्तावित इकाई के कारण पड़ने वाले प्रभावों का विस्तृत आकलन कर इसका ईआईए रिपोर्ट में समावेश करें।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

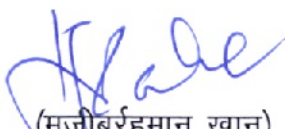
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण

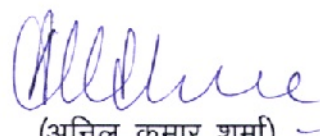
- iii. ग्लोबल वार्मिंग क्षमता और औद्योगिक गतिविधियों से कार्बन फुटप्रिंट और इसकी कमी के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और ईआईए में प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ चर्चा की जानी चाहिए।
- iv. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO₂ उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप में किये जाने हेतु ईआईएमें चर्चा की जानी चाहिए।
- v. गंध नियंत्रण के लिए EIA रिपोर्ट में विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करे।
- vi. प्रस्तावित इकाई से प्रक्रिया उत्सर्जन (process emission) का विवरण और उसके नियंत्रण की व्यवस्था की ईआईए में चर्चा की जानी चाहिए।
- vii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल किया जाना चाहिए।
- viii. धातुकर्म एवं अन्य उत्पाद निर्माण के दौरान उत्पन्न हुई अनुपयोगी ऊष्मा एवं ताप का उचित प्रबंधन एवं तकनीकी दृष्टि से संरक्षण उपायों का कैसे उपयोग किया जायेगा विस्तृत विवरण दें।

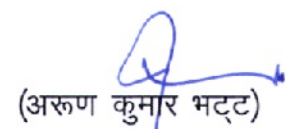
20. प्रकरण क्र. 9921/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री प्राकुल पाटीदार आत्मज श्री बालमुकुंद पाटीदार, निवासी- 115, ग्राम रसूलपुर जावरा, तहसील जावरा, जिला रतलाम (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम.सेण्ड 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.000 हेक्टेयर, खसरा 173 ग्राम सरवनीखुर्द, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म0प्र0) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 649वी बैठक दिनांक 07.06.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य परियोजना प्रस्तावकों द्वारा संचालित खदानों में SEIAA/DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का बिन्दुवार परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू-जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।

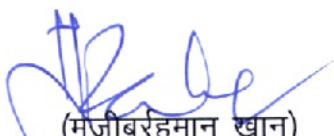

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

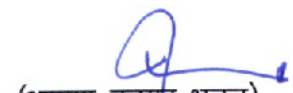

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण

- III. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू-जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी विभागीय निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी जिला खनिज अधिकारी के माध्यम से नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी, जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।
- V. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय-समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा तथा इसका अनुपालन कैसे किया जायेगा का ईआईए प्रतिवेदन में उल्लेख किया जाये।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।
- X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

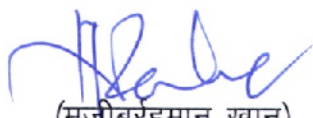

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण

- XI. मैनुअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।
- XII. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XV. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।
- XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा
- XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्वूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्ट्रे किया जाये एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू हैं की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।
- XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।
- XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट बेनिफिट एनालसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।
- XX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के आस-पास स्थित कृषि क्षेत्र के संरक्षण की योजना तैयार कर इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

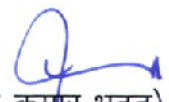
परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।



(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा) -
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण**

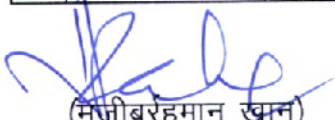
21. प्रकरण क्र. 9615/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मां इन्फ्राटेक, पार्टनर श्री अजय पाठक, निवासी— विजय नगर, सेक्टर नं० 3, जिला ग्वालियर (म०प्र०) द्वारा पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 25000 घ०मी० प्रतिवर्ष एवं एम. सेंड 25000 घ०मी० प्रतिवर्ष रकबा 2.000 हेक्टेयर, खसरा 927 ग्राम उपचा, तहसील विजयपुर, जिला श्योपुर (म०प्र०) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

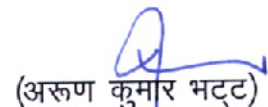
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 649वी बैठक दिनांक 07.06.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 649वी बैठक दिनांक 07.06.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले आबादी एवं शेड से न्यूनतम 100 मीटर एवं कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ी के संरक्षण हेतु SEAC के समक्ष की गई प्रतिबद्धता का परिपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- पीपल, चिरोल, खनेर, आवला, नीम, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल, बरगद, करंज आदि।	700
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01.5 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- करंज, नीम, चिरोल, पीपल, सिस्सू, कदम, पुत्रंजीवा आदि।	200
3	ग्राम उपचा के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- आवला, कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, पपीता, आम, मुनगा, कटहल, करंज आदि। (पूर्ण सुरक्षा सहित)	200
4	ग्राम उपचा के नजदीक स्थित ग्राम पंचायत में	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- नीम, मोलश्री, सिस्सू, बरगद, पीपल, कचनार, कदम, चिरोल आदि। (पूर्ण सुरक्षा)	150


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण**

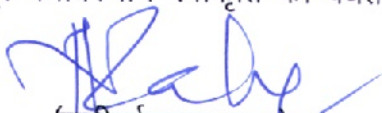
		सहित)	
5	ग्राम उपचा एवं समीप स्थित ग्राम के ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- मुनगा, आम, जामुन, सीताफल, अनार, निम्बू, अमरुद, कटहल, आमला आदि।	1300
		योग	1550

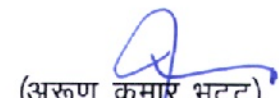
(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन 01 वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनवाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम उपचा के नजदीक स्थित शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ चिकित्सीय अधिकारी के परामर्श से आवश्यक उपयोग हेतु सामग्री उपलब्ध कराई जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनवाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

प्राधिकरण के समक्ष प्रकरण में चर्चा हुई। पूर्व में यह प्रकरण SEAC द्वारा अनुशंसित किया गया था जिस पर SEIAA की 777वी बैठक दिनांक 28.03.2023 में हुई चर्चा अनुसार गूगल ईमेज में दर्शित स्थिति के संदर्भ में एक विस्तृत टीप सहित पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रप्रेषित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEIAA द्वारा की गई प्रेक्षाओं के संबंध में SEAC की बैठक दिनांक 16.05.2023 में परीक्षण किया गया और इस बैठक में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बिन्दुवार विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात SEAC द्वारा पुनः अनुशंसा की गई है। प्रदेश के आदिवासी बहुल पिछड़े श्योपुर जिले में रोजगार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये जा रहे प्रावधानों के प्रकाश में इस प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाना प्रस्तावित है। चर्चा के दौरान सदस्य द्वारा व्यक्त की गई असहमति के अधिकांश बिन्दुओं का निराकरण हो चुका है, अतः SEAC द्वारा की गई अनुशंसा एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वांछित जानकारी के आधार पर परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मां इन्फ्राटेक, पार्टनर श्री अजय पाठक, निवासी- विजय नगर, सेक्टर नं० 3, जिला ग्वालियर (म०प्र०) द्वारा पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 25000 घ०मी० प्रतिवर्ष एवं एम. सेण्ड 25000 घ०मी० प्रतिवर्ष रकबा 2.000 हेक्टेयर, खसरा 927 ग्राम उपचा, तहसील विजयपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला श्योपुर का पत्र क्र. 9638 दिनांक 09.09.2022 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 08.09.2032 तक वैध मान्य रहेगी।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

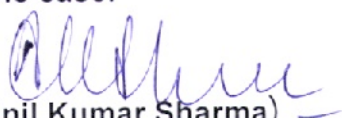

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

Dissenting Note of Member

I have following observation regarding the case justifying my dissent in the case :-

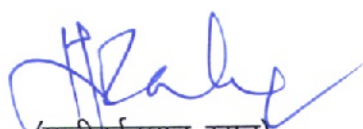
1. While reverting the case to SEAC a detailed note has been sent which is self explanatory.
2. It is clear from the google image that the habitation nearby is expending towards the mining lease area and has come adjacent to lease area.
3. The physical distance of the habitation from the mine area is mentioned as 100 m. while the actual air distance (as the crow flies) should be applicable in this case. Accordingly the distance from the habitation is much less than 100 m. This will cause pollutional problems to the nearby habitation. Transportation from the mine lease area will further cause in-convenience to the local population the expending population is further coming near the mine site.
4. The lease area is situated in the start of the mountain range which has unique environmental importance and ecosystem which needs to be protected.
5. Once the mining activity start in the area the whole mountain range will come under the grip of mining activity causing great loss to the mountain ecosystem and local population.
6. PP has applied for stone mining and M-sand and subsequently the site of M-sand production has been changed to new site nearby which has not been appraised.
7. The PP in the explanatory letter the PP has mentioned about the flying rocks during mining which is indicating probable provision of blasting during mining.

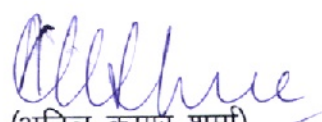
Looking to the environmental sensitivity and is likely effect to the habitation and ecosystem of the mountain range alongwith likely landscape changes etc. due to mining activity we should reject the case.

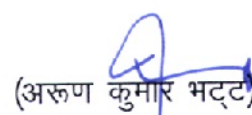

(Anil Kumar Sharma)
Member, SEIAA

इस तरह प्रकरण क्र. 9615/2022 में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया गया है। सर्वसम्मति निर्णय न होने के कारण इस संबंध में EIA Notification Dated 1-12-2009 SO 3067 (E) के अनुसार मिनट्स की प्रति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजी जाये।

22. प्रकरण क्र. 9047/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्री मां नर्मदा एगोटेक एवं इन्फ्रस्टाचर लि०, पार्टनर श्री अजय मोदी, निवासी- यू.जी. 47, ट्रेड सेंटर कंचनबाग, मैन रोड, जिला इंदौर (म०प्र०) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 14700 घ०मी० प्रति वर्ष रकबा 01.90 हेक्टेयर, खसरा 1/1/1, 1/1/2, 1/1/3, 1/2/1, 1/2/2, ग्राम धुरेरी, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर (म०प्र०) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 649वी बैठक दिनांक 07.06.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 649वी बैठक दिनांक 07.06.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जायें।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सु आदि।	390
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 0.1 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	130
3.	खदान पट्टे के पश्चिम दिशा में 90 मीटर की दूरी पर खनिज निकास रोड है, इस रोड के एक तरफ 4लम्बाई की मीटर लाइनों में तक दोलगायेंगे	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि (पूर्ण सुरक्षा सहित)	200
4.	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरुद, आंवला, अनार,	1580

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण**

	निम्बू, इमली, कटहल, सीताफल आदि	
	योग	2300

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन 02 वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम धुरेरी के आंगनबाड़ी केन्द्र में बच्चों के खेलकूद के उपकरण उपलब्ध कराये जायें।
- ग्राम धुरेरी के ग्रामीणों के लिये पीने के पानी की उचित व्यवस्था की जाये।
- ग्राम धुरेरी की ग्राम सड़क की मरम्मत की जाये तथा उसका रखरखाव किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्री मां नर्मदा एग्रोटेक एवं इन्फ्रस्टाचर लि0, पार्टनर श्री अजय मोदी, निवासी- यू.जी. 47, ट्रेड सेंटर कंचनबाग, मैन रोड, जिला इंदौर (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 14700 घ0मी0 प्रति वर्ष रकबा 01.90 हेक्टेयर, खसरा 1/1/1, 1/1/2, 1/1/3, 1/2/1, 1/2/2, ग्राम धुरेरी, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला इन्दौर का लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 02 दिनांक 14.01.2022 अनुसार उक्त खदान दिनांक 21.03.2016 से 20.03.2026 तक स्वीकृत है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 20.03.2026 तक वैध मान्य रहेगी।

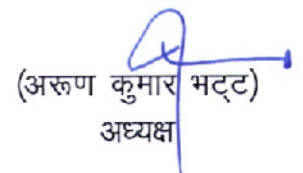
23. प्रकरण क्र. 9644/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स यूफोरिया माईन्स एण्ड मिनरल्स, पार्टनर श्री हिमांशु मीणा, निवासी- 9 ए, पैरामाउंट विला, अंशल श्यामला हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 128949 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 8.0 हेक्टेयर, खसरा 306, ग्राम घाटपिपरिया-3, तहसील बरेली, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



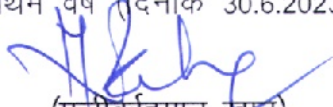
(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

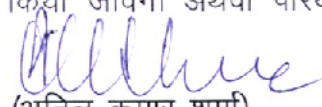
**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण**

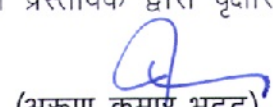
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 649वी बैठक दिनांक 07.06.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 649वी बैठक दिनांक 07.06.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 1,28,949 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 1,28,949 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 1,28,949 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 1,44,000 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 1,28,949 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवाया जाये तथा इस हेतु आवश्यक धन राशि रु. 5.31 लाख परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में दिनांक 30.06.2023 के पूर्व जमा किये जाये तथा तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 03 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण प्रथम वर्ष (दिनांक 30.6.2023 तक) में किया जावेगा अथवा परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण**

योजना में होने वाले व्यय को संबंधित ग्राम पंचायत अथवा वन विभाग की समिति को निर्धारित राशि रु. 5.31 लाख और 10 परसेंट रख रखाव के लिए रु. 53,150/- राशि प्रदान की जायेगी :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारे पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के स्लीपस, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास) 2,000(4-5 पंक्ति - कटंग बांस) 2315(6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, जंगल जलेबी, लसोड़ा एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ) 1000(	5315
बिंदु क्रमांक 1 वन विभाग द्वारा रोपण किये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा स्वीकृति प्रोजेक्ट अनुसार			
2	घाटपिपरिया 3, माछा और अजेरा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	4000
3	परिवहन मार्ग में (350m)	नीम, पीपल, चिरोल ,जंगल जलेबीए आँवला, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	235
4	ग्राम घाटपिपरिया 3 में प्राथमिक विद्यालय में वितरण हेतु	कदम्ब, अमलतास, पुत्ररंजीवा, मौलश्री, अशोक, नीम, सीताफल, गुलमोहर इत्यादि।	50
कुल			9600
बिंदु क्रमांक 2,3,4 रोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वयंम्, ग्राम पंचायत या स्वयंसेवी संस्था द्वारा किया जावे ।			

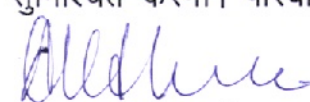
VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम घाटपिपरिया-03 के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में 01 कम्प्यूटर, 01 प्रिन्टर, 01 टेबल और 01 कुर्सी प्रदान की जाये।
- ग्राम घाटपिपरिया-03 में ग्रामीणों के लिये 01 हैण्डपम्प की स्थापना की जाये तथा उसके चारो ओर चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की स्थापन की जाये।

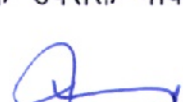
साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के



(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

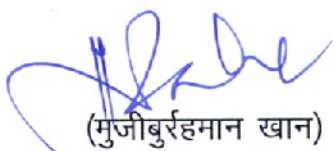


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

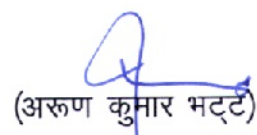
स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

- VIII. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 30.06.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स यूफोरिया माईन्स एण्ड मिनरल्स, पार्टनर श्री हिमांशु मीणा, निवासी- 9 ए, पैरामाउंट विला, अंशल श्यामला हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 128949 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 8.0 हेक्टेयर, खसरा 306, ग्राम घाटपिपरिया-3, तहसील बरेली, जिला रायसेन (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन का आदेश क्र. 550 दिनांक 08.06.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

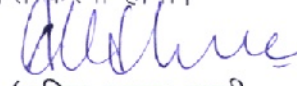

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. संबंधित जिले के जिला खनिज अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित खदान हेतु उल्लेखित खनिज की कुल मात्रा से अधिक का उत्खनन न हो।
2. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारों ओर की जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अग्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चारों ओर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
8. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
11. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।


(मुजीबुरहमान खान)

सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)

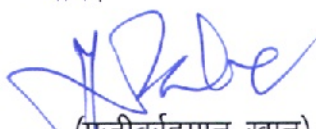
सदस्य

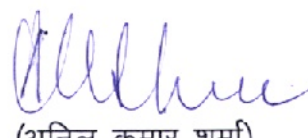

(अरुण कुमार भट्ट)

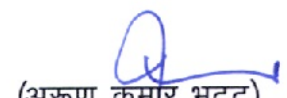
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू-दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
14. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
15. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
16. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
17. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
19. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
22. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण**

23. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

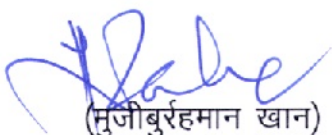
खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :-

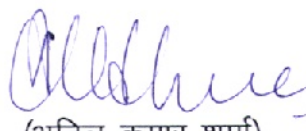
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा।
25. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

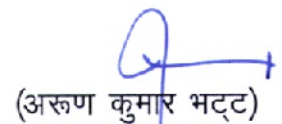
परिशिष्ट-2

गौण खनिज (रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
2. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
5. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।
6. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबद्धता अनुसार जलभराव क्षेत्र को गैर-खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जायेगा।
8. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
9. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
10. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू-आकृति विज्ञान का एक कार्य है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
14. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।


(मुजीबुरहमान खान)

सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)

सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)

अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023
का कार्यवाही विवरण

20. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
21. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

परिशिष्ट-3

1. Water requirement shall be met through MPAKVN water supply only. Prior permission from concerned authority shall be obtained for withdrawal of water.
2. The Project Proponent shall make necessary arrangements for control of Air Pollution occurring due to the installation and operation of the Air Polluting machinery installed in the industrial premises.
3. The project proponent shall provide online continuous monitoring of effluent, the unit shall install web camera with night vision capability and flow meters in the channel/drain carrying effluent within the premises.
4. The project proponent shall construct rain water tanks to store rain water runoff generated from the roof tops etc during monsoon season within its premises.
5. The project proponent shall minimize the water consumption in the industrial plant complex by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.
6. The Company shall harvest rainwater from the roof tops of the buildings and storm water drains to recharge the ground water and utilize the same for different industrial operations within the plant.
7. PP should ensure to achieve minimum 95% solvent recovery. Close loop solvent recovery system with adequate condenser system shall be provided to recover solvent vapours in such a manner that recovery shall be maximum and recovered solvent shall be reused in the process within premises.
8. The project proponent shall undertake pre-monsoon and post monsoon monitoring of the Ground water for heavy metals in addition to routine parameters. At least 3 samples i.e. one from within the premises and two from outside the premises of the industry shall be taken.
9. All the vehicle movement areas as well as approach road to the gate /weighing bridge shall be paved with pucca/metalled / cement concrete to control the dust emissions expected from vehicle movements.


(मुजीबुर्रहमान खान)

सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)

सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)

अध्यक्ष

10. The vehicles to be used for loading/unloading purposes shall not be parked along the roadside to avoid traffic congestion and a dedicated parking place to be provided for the same within the Project premises.
11. The project proponent shall adopt green technologies to conserve water and energy. Also, provide abrasive resistant fire bricks in the crucibles to reduce the periodic maintenance and disposal of discarded fire bricks if applicable.
12. The project proponent shall use natural gas as substitute fuel wherever possible in the existing industry/ for the expansion project as soon as this becomes commercially available. PP should ensure to implement non conventional energy source wherever is possible.
13. Odour Management:
 - (a) Nozzles, sprayers and atomizers that spray ultra-fine particles of water or chemicals should be used along the boundary lines of area sources to suppress odours
 - (b) Odorous air streams frequently contain high concentration of moisture. PP should ensure to use Mist filters for this purpose so that mist filter can remove solids and liquids from gas stream.
 - (c) Regular transportation of Sludge and other odor producing material to CHWTSDF
 - (d) Proper storage of chemical, solvent to avoid direct contact of sunlight
 - (e) Personal Protective Equipment should be provided to the workers while handling of chemical and raw material
14. PP should ensure to make arrangement for disaster management.
15. No construction and expansion activities will be allowed in MOS area.
16. Leak Detection and Repair (LDAR) program shall be prepared and implemented as per the CPCB guidelines. LDAR Logbooks shall be maintained.
17. The specific need base activities to be undertaken under CER to be carried out in consultation with District collector.



(मुजीबुर्रहमान खान)

सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)

सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)

अध्यक्ष